

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

| क्र० | पदाधिकारी का नाम | प्रोन्नति की तिथि |
|------|--|-------------------|
| 1 | श्री अजीत पीटर डुंगडुंग, भा०पु०से०(2011) | 01.01.2020 |
| 2 | श्री अखिलेश बी० वारियर, भा०पु०से०(2012) | 01.01.2021 |

(ii) उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश
04.03.2023

(शैलेश कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक - 13/पी०-103/2020-1054 / राँची, दिनांक-

04/03/2023 ई०।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची, जे०।

शैलेश
04.03.2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक - 13/पी०-103/2020-1054 / राँची, दिनांक-

04/03/2023 ई०।

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/ महानिदेशक, रेल, झारखण्ड, राँची/ महानिदेशक, प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/सभी अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा, झारखण्ड/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-14, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी FR-22 के प्रावधान के तहत वेतन निर्धारण हेतु अधिसूचना निर्गत तिथि से 30 दिनों के अन्दर आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

शैलेश
04.03.2023

सरकार के अवर सचिव।